न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 38/17

तारीख रजू :– 12.07.2017

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

कजोड़्या बनाम सुखजी बगै0

प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 सी0पी0सी0

रेडविथ धारा 151 सी0पी0सी

निर्णय दिनांक :– 24.1.18

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है। सहवन स टाईपिंग की गलती व लिपिकीय भूल के कारण प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के टाईटल बोडी में सायल के पिता का नाम रंगलाल के स्थान पर फैली दर्ज हो गया है। प्रा0पत्र के मद नं0 2 की लाईन सं0 4 में शोदान पुत्र रंगलाल के स्थान पर शोदान पुत्र फैली दर्ज हो गया है। क्योंकि दो अलग–अलग खातो में सायल के पिता के अलग–अलग नाम दर्ज हैं जिसमें सायल के पिता का नाम रंगलाल दर्ज है इसलिये प्रा0 पत्र के टाईटल बॉडी में तथा दावे के अन्त में प्रार्थी में कजोड़्या पुत्र रंगलाल दर्ज किया जावे तथा "फैली" नाम को हजफ फरमाया जावे। प्रा0पत्र के मद सं0 2 की लाईन यं0 4 में शोदान पुत्र फैली के स्थान पर शोदान पुत्र रंगलाल अंकित किया जाकर इसी अनुसार संशोधन किया जावे, इसी कदर प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ संलग्न शपथ पत्र में कजोड़्या पुत्र सुखजी के स्थान पर कजोड़्या पुत्र रंगलाल व इबारत तस्दीक की लाईन सं0 1 में कजोड़्या पुत्र रंगलाल व इबारत

तस्दीक की लाईन सं0 1 में कजोड़्या पुत्र सुखजी के स्थान पर कजोड़्या पुत्र रंगलाल का संशोधन किया जावे। इसी कदर सायल द्वारा पेश काउन्टर क्लेम व जबाबुल जबाव के अन्त में प्रार्थी के नीचे टाईपिंग मिस्टेक के कारण कजोडया पुत्र फैली अंकित हो गया है। जिसमें कजोडया पुत्र फैली के स्थान पर कजोडया पुत्र रंगलाल का संशोधन किया जावें।

प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 रेडविद धारा 151 जाप्ता दीवानी का जबाव प्रस्तुत किया गया है जिसमें अवगत कराया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार है। वादी ने अपना वाद पत्र दिनांक 07.07.2017 को इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 1002 रकवा 3.43 हैक्टर, ख0नं0 1000 रकवा 2.78 हैक्टर, ख0नं0 1001 रकवा 2.03 हैक्टर वाकेग्राम बागौर तहसील नादौती के बंटवारे हेतु अपना वाद पत्र पेश किया है व सायल ने अपना प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जिसमें कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की टाईटल बॉडी में कजोडया पुत्र फैली व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के मद नं0 2 में पेज नं0 2 पर दूसरी लाईन में दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 9 श्योदान पुत्र फैली की बल्दियत दर्ज की है व प्रार्थी में भी वादी ने कजोडया पुत्र फैली दर्ज की है व इसी बल्दियत से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ संलग्न शपथ पत्र में भी कजोडया पुत्र सुखजी की बल्दियत दर्ज की है। गैरसायल नं0 1 लगायत 8 की तरफ से अपना जबाव प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम दिनांक 11.08.2017 को पेश किया जा चुका है। इस जबाव का जबाउल जबाव भी सायल कजोडया पुत्र फैली द्वारा दिनांक 13.10.2017 को न्यायालय हाजा में पेश किया है उसका जबाव भी गैरसायल नं0 1 लगायत 8 की तरफ से दिनांक 27.10.2017 को पेश किया जा चुका है जिसमें कि मुफस्सिल तौर से सारे उज्रात लेते हुए प्रतिपक्षी ने अपना पक्ष रखा है यहां मूल रूप से देखने की बात यह

है कि सायल ने अपने जबाउल जबाव दिनांक 13.10.2017 को न्यायालय हाजा में उक्त पत्रावली में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पेश किया है उस जबाउल जबाव में यह दर्ज कियाहै कि धापा देवी ब्राहम्मण से उक्त भूमि क्रय की है। यहां यह निर्विवाद है कि भूमि वाई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय–विक्रय हुआ है। और उसी के आधार पर आगामी कार्यवाही लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यू, नामान्तकरण जमाबन्दी की गई है। जब मूल रूप में रजिस्ट्रेशन में जो इबारत दर्ज है क्या उस इबारत को माननीय न्यायालय हटा सकती है? नेरस्त कर सकती है? उपर्युक्त कार्यवाही संबंधित न्यायालय जो कि दीवानी न्यायालय है वही कर सकती है श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बाहर है इस प्रकार प्रार्थी दरखास्त देहन्दा द्वारा चाहा गया संशोधन खारिज फरमाऐ जाने योग्य है क्यूं कि प्रार्थी दरखास्त देहन्दा ने सारी कार्यवाही जानबूझकर इन्टेनशली की है प्रार्थी दरखास्त देहन्दा का मूल दावा बंटवारे का है घोषणा बंटवारे की चाही है। व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में गैरसायलान को पाबन्द कराना चाहा है। यहां अदालत किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्रार्थी दरखास्त देहन्दा को नहीं दे सकती है क्यूं ऐसा करने से दावे की नोईयत बदल जाती है व दावे का स्वरूप ही समाप्त हो जाता हो वहां पर अदालत किसी प्रकार की तरमीम की इजाजत नहीं देगी व दरखास्त खारिज कर देगी। प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में यह कहीं भी दर्ज नहीं किया है कि किस तारीख, तिथि, मिति, वार को प्रार्थी दरखास्त देहन्दा की जानकारी में आया कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की टाईटल बॉडी व शपथ पत्र की इबारत में बल्दियत क्या दर्ज है। चूंकि जिस दिन प्रार्थी दरखास्त देहन्दा ने अपना प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया उस दिन भी उसकी जानकारी में था, चूंकि जमाबन्दी उसके सामने थी। यहां प्रार्थी अदालत को मुगालता देकर बैकडोर एण्ट्री चाहता है जो उसको नहीं दी जा सकती है उसका कारण यह है कि जो कुछ भी कार्यवाही रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज की हुई है उसका मूल वयनामा रजिस्टर्ड रहा है व जब तक वयनामें में जो कुछ इन्द्राज है

वह अपनी जगह पर कायम है उसका रजिस्ट्रेशन सबरजिस्ट्रार द्वारा दो गवाहों की मौजूदगी में किया गया इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन अदालत द्वारा नहीं दिया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकील सायल ने जबाव में अंकित बिन्दूओं को ही अपने कथन में दौराया।

वकील गैरसायल ने भी अपने जबाव में अंकित बिन्दूओं को ही दौराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, दौराने बहस प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, तथा सुसंगत विधि को भी देखा गया। उक्त समस्त बिन्दूओं पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि प्रथम दृष्टया मामला, सायल के पक्ष में होना प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 रेड विद धारा 151 जाप्ता दीवानी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 6 नियम 17 रेड विद धारा 151 जाप्ता दीवानी सायल विरूद्ध गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली